फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम बायतु

...गताराम बनाम दीपाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 118/15 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29/06/15	प्रार्थी की ओर से प्रार्थी वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया गया जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी वकील को अन्तरिम आदेश पर एकपक्षीय सुना गया। पत्रावली व संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थी की भूमि पैतृक है। सुविधा का सन्तुलन एंव प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 को आगामी पेशी तारीख 29.07.2015 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी मौजा भगोणियों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला के खेत खसरा नम्बर 711/228 रकबा 00.07 बीघा, खसरा नम्बर 713/229 रकबा 01.00 बीघा, खसरा नम्बर 714/229 रकबा 34.18 बीघा, खसरा नम्बर 722/609 रकबा 36.00 बीघा, खसरा नम्बर 757/609 रकबा 11.03 बीघा, खसरा नम्बर 758/608 रकबा 15.06 बीघा, खसरा नम्बर 760/608 रकबा 08.13 बीघा कुल रकबा 107.07 बीघा की भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त में विप्रार्थी किसी तरह की बाधा, हस्तक्षेप कारित नहीं करे तथा न किसी प्रकार का बेचान, न ही किसी प्रकार का नया कच्चा-पक्का निर्माण आदि करे तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 29.07.2015 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 15:52:38 IST
Reason: SelfAttested

24/7/15 प्रार्थी वकील उप० । विप्रार्थीगण के नोटिस तामील अदम तामील अ[illegible] पत्रावली आगामी पेशी दि० 2/12/15 को पेश [illegible]

02/12/15 प्रार्थी वकील उपस्थित । अप्रार्थीगण के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त । इन्तजार होकर पत्रावली बाइन्दा दिनांक 20/01/16 को पेश हो । तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा ।

20/7/2020 पत्रावली आज प्रार्थी अधि. श्री सियाराम सियाग के निवेदन पर प्रस्तुत हुई । मूलवाद 59/2015 Not Press में खारिज किया जा चुका है प्रार्थना पत्र भी चलने योग्य नहीं है अतः Not Press में मय स्थगन खारिज किया जाता है।

Not press [illegible] 20/7/2020

[signature]

सहायक कलेक्टर (DDO) [illegible]

20.7.2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 15:52:38 IST
Reason: SelfAttested